

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ग)()नियम/डीएलबी/17/ ३५०६९

जयपुर, दिनांक: १८/९/१७

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 सपष्टित धारा 325 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा नगर निगम कोटा विवाह स्थल पंजीयन उपविधि, 2010 की उपविधि-10 (ब) के अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों के उपयोग एवं उपभोग की अनुमति रूपये 10/- प्रति वर्गगज प्रतिवर्ष के आधार पर जमा की जावे तथा वर्ष 2016-17 के पूर्व की बकाया राशि भी उपरोक्त निर्धारित दर के आधार पर वसूल की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अशोक)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2017/ ३५०७०-३५०७७ दिनांक: १८/९/१७
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. महापौर नगर निगम कोटा।
04. आयुक्त, नगर निगम कोटा।
05. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राज-पत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं 5 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
06. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
07. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी